

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 73/2025 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

राजेन्द्र प्रसाद (मालिक/विक्रेता) पुत्र गिराज प्रसाद मैसर्स नीलम मिष्ठान भण्डार
हनुमान चौक रूपवास भरतपुर निवासी प्रजापत मौहल्ला रूपवास, भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल

निर्णय

दिनांक : 08.01.2026

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006
रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 17.12.2025 को प्रस्तुत किया गया
है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 08.01.2026 को
गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित
आरोप सुनाया गया कि दिनांक 07.08.2025 को दोपहर पश्चात् 4.00 बजे गैरसायल की
दुकान मैसर्स नीलम मिष्ठान भण्डार हनुमान चौक रूपवास भरतपुर का निरीक्षण किया
गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल
के लिये विक्रय हेतु दुकान में रखी हुई स्टील की परात में लगभग 30 किग्रा घेवर
(मैदा,चीनी व वनस्पति से निर्मित) रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने
पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006
के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की
जांच रिपोर्ट एलएस/818/एक्ट/2025/838 दिनांक 20.8.2025 द्वारा उक्त घेवर
(मैदा,चीनी व वनस्पति से निर्मित) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard
Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ
(Substandard Food) प्रकृति का घेवर (मैदा,चीनी व वनस्पति से निर्मित) विक्रय
करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii)का उल्लंघन किया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स नीलम मिष्ठान भण्डार हनुमान चौक रूपवास भरतपुर से घेवर (मैदा, चीनी व वनस्पति से निर्मित) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण मैसूर की जांच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त घेवर (मैदा, चीनी व वनस्पति से निर्मित) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त घेवर (मैदा, चीनी व वनस्पति से निर्मित) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है, जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। इसलिये गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 07.08.2025 को दोपहर पश्चात् 4.00 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स नीलम मिष्ठान भण्डार हनुमान चौक रूपवास भरतपुर दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय दुकान में रखी हुई स्टील की परात में लगभग 30 किग्रा घेवर (मैदा, चीनी व वनस्पति से निर्मित) रखा हुआ पाया गया। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/818/एक्ट/2025/838 दिनांक 20.8.2025 द्वारा उक्त घेवर (मैदा, चीनी व वनस्पति से निर्मित) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ स्तर (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 15,000/-रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

५१

(धनश्याम शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)